सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 8/2017

बउनवान

श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां

(प्रार्थी)

बनाम

श्री भैरूलाल पुत्र श्री गोपाललाल उम्र 32 वर्ष जाति सुमन निवासी बम्बोरी चौराहा मॉगरोल जिला बारां **(मालिक एवं विक्रेता)** मेसर्स सुमन रेस्टोरेन्ट, कृषि मण्डी के सामने बारॉ रोड मॉगरोल

(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2– अप्रार्थी (स्वंय)

निर्णय दिनांक 12.11.2018

प्रकरण श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 17.8.2016 को मेसर्स सुमन रेस्टोरेन्ट, कृषि मण्डी के सामने बारॉ रोड मॉगरोल पर पहुंचा। वहॉ पर श्री भैरूलाल पुत्र श्री गोपाललाल **(मालिक एवं विक्रेता)** की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि वहां पर आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ **दुध बर्फी (दुध व चीनी से निर्मित)** लगभग 10 कि.ग्रा. मात्रा में स्टील की ट्रे में रखी हुई थी, जिसमें मिलावट का शक होने पर उसमें से **दुध बर्फी** विक्रेता से **02 कि.ग्रा.** तपेली में तुलवाकर वास्ते नमूना जांच उपस्थित गवाहान के समक्ष खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को 380/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की, मौके पर नमूना लेने की सूचना देने हेतु फार्म सं. 5 ए की प्रतियां तैयार की जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं स्वंय हस्ताक्षर किये। नियमानुसार फर्द रिपोर्ट तैयार की तथा पढ़कर विक्रेता, गवाहान को सुनाया तथा उनके हस्ताक्षर करवाकर स्वंय हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने वास्ते नमूना जांच खरीदे हुए **दुध बर्फी 02 कि.ग्रा.** को कांच की चार साफ सूखी स्वच्छ जारो में बराबर–बराबर भरकर प्रत्येक शीशी में परीरक्षक फार्मलीन की 40–40 बूंदे डालकर एयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. के लेबल चिपकाये प्रत्येक लेबल पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा स्वंय भी हस्ताक्षर किए। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप चारों नमूना भाग पर उपर से नीचे तक फेवीकोल से चिपकाये तथा धागे से बांधकर नियमानुसार चपड़ी से सील किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ नियमानुसार तैयार एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर स्वंय द्वारा जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर डीओ मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि. बारां को जमा कर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक को डी.ओ. मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि. बारां के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/ 2016/271 दिनांक 17.10.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 41/FSSA/Kota/Act/2016/32 दिनांक 5.10.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय की गयी, **दुध बर्फी** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 3 (1)(ZX) के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी पेशी पर स्वंय उपस्थित हुआ। बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **दुध बर्फी** का विक्रय किया जा रहा था, वह जॉच मे **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी द्वारा कहा गया कि मैने दुध बर्फी स्वंय दुध एवं चीनी से निर्मित कर विक्रय की है। जिसमे किसी प्रकार की मिलावट नही की है। मेरी कृषि उपजमण्डी के सामने छोटी सी दुकान है, जिसमे चाय वगैराह बेचता हूँ। मैं गरीब व्यक्ति हूँ मेरे एक पुत्र है जो ठेला लगाता है। दोनो पिता पुत्र मिलकर, परिवार का पालन पोषण करते है। अप्रार्थी के विरूद्व की गई कार्यवाही निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और उस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अप्रार्थी के पास से वास्ते नमूना जांच ली गयी, खाद्य पदार्थ **दुध बर्फी (दुध व चीनी से निर्मित)** जॉच मे **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत, अप्रार्थी को कुल 5,000/— अक्षरे पॉच हजार रूपये मात्र के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)